| | हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 0/3/26 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/3/26 को पेश हो। | |
| 30/3/26 | पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील उप.। प्रतिवादी स.3 से 6 के वकील उप.। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रतिवादी स. 3 से 6 के वकील ने कहा कि अगर वादीनी का हिस्सा घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि वादीनी वकील का वाद स्वीकार करने योग्य है। अत: अंतिम निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

**अज अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा**

**व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.**

वादीनी–

1. झीणीदेवी पुत्र आईदानराम पत्नी शंकराराम जाति राईका, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. आईदानराम पुत्र शम्भूराम (श्रीमान न्यायालय द्वारा नाम हटाया गया)
2. जीवाराम पुत्र आईदानराम
3. धूधाराम पुत्र शम्भूराम
4. प्रेमाराम पुत्र मेहन्दाराम
5. द्वारकाराम पुत्र मेहन्द्राराम
6. जेहिताराम पुत्र मेहन्दाराम जाति राईका, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
7. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैक शाखा बामड़ला
8. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैक शाखा साता
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर
10. उप पंजीयक सेड़वा।

**वाद बाबत धारा 88, 40, 188 व 209 RT Act.**

**मुकदमा नं. 158/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू **न्यायालय** बहाजरी **श्री करनाराम कड़वासरा वादीगण** अधिवक्ता, मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला, भू. अ.नि. क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खाता संख्या नया 77 के खसरा संख्या 552 रकबा 0–06 हैक्टेयर किस्म गै.मू.ढाणी, खसरा संख्या 824/553 रकबा 206–02 बीघा किस्म बा0सो0 भूमि में वादीनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व ई में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 31/03/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद के लिए स्टाम्प | | शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह | | आदेशिका की तामिल | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

वांद के खर्चे

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 158/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

**उनवानः–**

वादीनी–

1. झीणीदेवी पुत्र आईदानराम पत्नी शंकरराम जाति राईका, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. आईदानराम पुत्र शम्भूराम (श्रीमान न्यायालय द्वारा नाम हटाया गया)
2. जीवाराम पुत्र आईदानराम
3. धूधाराम पुत्र शम्भूराम
4. प्रेमाराम पुत्र मेहन्दाराम
5. द्वारकाराम पुत्र मेहन्द्राराम
6. जेहिताराम पुत्र मेहन्दाराम जाति राईका, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
7. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैक शाखा बामड़ला
8. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैक शाखा साता
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर
10. उप पंजीयक, सेड़वा।

**अधिवक्तागण–वादीनी के वकील**– श्री करनाराम कड़वासरा

**प्रतिवादीगण संख्या 03 से 06 से के वकील**– श्री रामजीवन विश्नोई

**प्रतिवादी संख्या 02 के वकील**– श्री दोश मोहम्मद

### अन्तर्गत धारा 88,188, 207 RT Act.

### निर्णय

दिनांक :– 30/03/2026

वादीनी झीणीदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी शंकरराम जाति राईका निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा पेश वाद का [illegible] में इस प्रकार है कि "मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला के खसरा संख्या 552, 824 [illegible] रकबा क्रमशः 0–06, 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा के आये हुए है। [illegible] आराजी वादीनी के पूर्वज समेलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

...द वक्त सेन्टलमेन्ट के समय व उसके वाद वादीनी के दादा शम्भूराम व भभूताराम के ...म दर्ज हुई है, शम्भूराम के फौत होने से वादीनी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 आईदानराम व धूंधलाराम के नाम से दर्ज हुई है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 से 06 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी है। उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक व पुश्तैनी एवं मितक्षरा सहदायिकी भूमि होने से वादीनी का उक्त खसरों की भूमि में जन्म से ही हक उत्पन्न हो गया है इस कारण से वादीनी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के साथ तहसील सेड़वा पटवार मण्डल औगाला के राजस्व ग्राम औगाला के खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा क्रमशः 0–06, 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा में वादीनी का 1/12 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में होता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1998 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक व पुश्तैनी भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनो ही जन्म से ही अधिकार होता है। उक्त खसरे की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है, इसलिये प्रत्येक सहदायिकी के सदस्यों का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व हिस्सा होता है। जिसमें अजनबी खरीददारों को बिना सहमति के वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को बेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 को नहीं है, न ही अजनबी खरीददार कब्जा कर सकते है और न ही काश्त कर सकते है और न ही उपयोग व उपभोग में ले सकते हैं और न ही रिकार्ड में परिवर्तन कर सकते है। यदि प्रतिवादीगण ने मिलकर उपरोक्त खसरों की भूमि का बेचान किया है तो उसमें वादीनी पक्षकार नहीं होने से उस बेचान से वादीनी पाबन्द व जिम्मेवार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है दर्ज होने के नाते दौराने दावा व वादीनी की जानकारी के अभाव में उपरोक्त खसरों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को वादीनी की बिना सहमति के, वादीनी के हक व हिस्से की जमीन अजनबी खरीददारों/दानग्राहिताओं को कर दिया है तो सहदायिकी एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि का किसी एक सह–खातेदार, सह हिस्सेदार एवं सहदायिकी द्वारा किया गया विक्रय शून्य होता है जिसके आधार पर खरीददार को कोई हक उत्पन्न नहीं होगा। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की होने से आज से बीस रोज पूर्व प्रतिवादीगण सभी मिलकर वादीनी को उपरोक्त खसरों की भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना वादीनी की सहमति के, जबरन बेदखल कर कब्जा करने एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करने की लगातार धमकियां दे रहे है, तथा उक्त खसरों की भूमि अजनबी क्रेताओं को बेचान करने के लिए आमादा है। अजनबी लोगों को बेचान करने के लिए दिखाई और प्रतिवादीगण सभी मिले हुए है और वादीनी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित/महरूम रखना चाहते है। वादीनी द्वारा ... गांव के मौजिज लोंगो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

(2)

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

...कर मनवाने की कोशिश की तो भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है, इसलिये वादीनी को यह वाद पेश करना लाजमी हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर में वादीनी का 1/12 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है इसलिए घोषणा का वाद पेश किया है। उपरोक्त पैतृक व पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी में वादनी का 1/12 हिस्से की संयुक्त खातेदारी को वादीनी का हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड शेष प्रतिवादीगण सह–खातेदारान् से विभाजित कर पृथक किया जावे ऐसी स्थिति में वादीनी विवादित आराजी का बंटवाड़ा बाई मीट्स बाउण्ड, भूमि की उपजाऊपन, धोरा व समतल, आने–जाने रास्ते सुविधा की दृष्टि को मध्यजनर रखते हुए भूमि का बंटवारा शेष भूमि से अलग करवाने के अधिकारी है, साथ ही अपने हिस्से अनुसार लगान का बंटवाड़ा का श्रीमान जी के समक्ष पेश है। वादीनी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है कि तहसील सेड़वा पटवार मण्डल औगाला के राजस्व ग्राम औगाला के खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा 0–06, 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा में वादीनी का 1/12 हिस्से की खातेदारी में प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की दखंलदाजी नहीं करे और न ही जबरन कब्जा ही करे और न ही मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करे। बिनायदावा बमुकाम ग्राम औगाल पटवार क्षेत्र औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में जब वादग्रस्त पैतृक व पुश्तैनी भूमि में वादीनी का जन्म हुआ तब व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में मिलावट कर आज से बीस रोज पूर्व जब वादीनी को प्रतिवादीगण ने बेदखल करने की धमकियां दी अजनबी केता को बेचान/दान करने की धमकियां दी तब–तब ऊपर बयान किए मुजब पैदा हुआ। तहसील सेड़वा पटवार मण्डल औगाला के राजस्व ग्राम औगाला के खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा 0–06, 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा में वादनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावें। वादीनी का 1/12 हिस्सा की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड, भूमि का उपजाऊपन, धोरा–समतल, आने–जाने की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए, वादीनी व प्रतिवादीगण के पृथक कर पृथक खाता कायम किया जावें ताकि भूमि समान रूप से, समान पैदावार से, आने–जाने की सुविधा, धोरा–समतल एक समान हो जाएं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 से 06 की ओर अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 की और अधिवक्ता श्री दोश मो... से वकालातनाम पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 को ... जवाब के अनेक अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

(3)

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए उनका जवाब बन्द किया जाता है। वादीगण वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में झीणीदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी शंकराराम जाति राईका निवासी औगाला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.01(प्रदर्श 01) जमाबंदी(खेवट/खतौनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला· आधार संवत 2070–2073 से स्थायी मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा 0–06 बीघा, रकबा 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा प्रदर्श ई.एक्स.पी.02(प्रदर्श 02 नक्शा) मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा 0–06 बीघा, रकबा 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा बतौर दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

PW-1 झीणीदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी शंकराराम जाति राईका, निवासी औगाला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि मौजा औगाला, पटवार हल्का औगाला के खसरा संख्या 552 रकबा 0–06 बीघा, खसरा संख्या 824/553 रकबा 206–02 बीघा कुल रकबा 206–08 बीघा भूमि आयी हुई है। मुझ के पिता फौत हो गये है, जिससे वादीया अपने पिता की भूमि में 1/3 हिस्सा तथा वादग्रस्त भूमि में वादीया का 1/12 हिस्सा मालिकाना हक हकूक व कब्जे काश्त का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादीनी के पूर्वज समेलाराम की वक्त सेटलमेट के समय थी, उसके बाद मेरे वादीनी के दादा शम्भुराम व भभूताराम के नाम दर्ज हुई शम्भुराम के फौत होने पर वादीनी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 आईदानराम व धुधलाराम के नाम दर्ज हुई, लेकिन वादग्रस्त भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 की सहदायीक सम्पति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम नहीं है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/12 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 04 से 06 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी है। उक्त खसरे की भूमि पैतृक व पुश्तैनी एवं मितक्षरा सहदायिकी भूमि होने से वादीनी का भी उक्त खसरो की भूमि में जन्म से ही हक उत्पन्न हो गया है, इस कारण से वादीनी का पिता प्रतिवादी संख्या 02 के पिता प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

01 के साथ तहसील सेड़वा पटवार मण्डल औगाला के राजस्व ग्राम औगाला के खेत खसरा संख्या 552, 824/553 रकबा 0.06, 206.02 बीघा कुल रकबा 206.08 बीघा में मुझ वादीनी का 1/12 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में होता है तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र कमांक प.5–1 राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.09.1997 द्वारा स्पष्ट आदेश पारीत किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनो ही जन्म से ही अधिकार होता है, विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त खसरे की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है, इसलिए प्रत्येक सहदायिकी के सदस्यो का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व हिस्सा होता है जिससे अजनबी खरीददारो को बिना सहमती से वादीनी के हक व हिस्से की भूमि को बेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 को नहीं है, न ही अजनबी खरीददार कब्जा कर सकते है, न ही काश्त कर सकतें है और न ही उपयोग व उपभोग में ले सकते है और न ही रिकार्ड में परिवर्तन कर सकते है। यदि प्रतिवादीगण ने मिलकर उपरोक्त खसरो की भूमि का बैचान किया है तो उसमें वादीनी पक्षकार नहीं होने से उस बैचान से वादीनी पाबन्द व जिम्मेदार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है दर्ज होने के नाते दौराने दावा व वादीनी की जानकारी के अभाव में उपरोक्त की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को वादीनी की बिना सहमति के वादीनी के हक व हिस्से की जमीन अजनबी खरीददारो/दानग्रहितो को कर दिया तो सहयायिकी एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि का किसी एक सहखातेदार सहहिस्सेदार एवं सहदायिकी द्वारा किया गया विकय शून्य होता है जिसके आधार पर खरीददार को कोई हक उत्पन्न नहीं होगा। ग्राम औगाला पटवार क्षेत्र औगाला के खसरा संख्या 552 रकबा 0.06 बीघा (0.0486) खसरा संख्या 824/553 रकबा 206.02 बीघा (33.3622 हैक्टैयर) भूमि में मुझ वादीनी के दादा/पड़दादा शम्भूराम व पिता आईदानराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में मुझ वादीनी का मालिकाना हक हकूक होने से व मौके पर कब्जे काश्त होने से वादग्रस्त आराजी के 1/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर (BDO) सेड़वा

के खातेदारी घोषणा पाने के हकदार होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा की जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बेदखल नहीं करें।

वकील वादीनी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों, बयानात् पर वादिया के अधिवक्ता ने बहस की। वादीनी/वादिया अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों, बयानात् पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, उक्त तथ्यों के आलोक में वादीनी का वाद संख्या 158/2018 उनवान झीणीदेवी बनाम आईदानराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 40, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

**अतः खेत** मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खाता संख्या नया 77 के खसरा संख्या 552 रकबा 0–06 हैक्टेयर किस्म गै.मू.ढाणी, खसरा संख्या 824/553 रकबा 206–02 बीघा किस्म बा0सो0 भूमि में वादीनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित **किया जाता है।**

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30/12/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested